न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 49/2022

अपीलांट्स – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स –

1. चुतरा पुत्र गुमना
2. पुरखा पुत्र गुमना
3. शेरा पुत्र गुमना
4. पीरा पुत्र गुमना
5. माडू पत्नी गुमनाराम

जाति जाट निवासी आडेल
तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार सिणधरी
2. अचलाराम पुत्र दलाराम
3. लिखमाराम पुत्र दलाराम
4. चिमा पुत्र गुणा
5. राउ पुत्र गुणा
6. जाला पुत्र गुणा
7. भंवरा पुत्र गुणा
8. जीया पुत्र गुणा
9. भीखों पत्नी गुणा
10. ईसरा पुत्र बना
11. सोना पुत्र बना
12. जसाराम पुत्र मंगला
13. सुरती पत्नी मंगला
14. भोमा पुत्र ठाकरा
15. रमेश पुत्र ठाकरा

प्रतिवादी सं0 14 व 15 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी सं. 16

लाली पत्नी ठाकरा

16. [illegible] ठाकरा
17. [illegible] पुत्र चौखाराम
18. [illegible] राम पुत्र चौखाराम
19. प[illegible]देवी पत्नी चौखाराम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

20. अणसीदेवी पत्नी देराजराम
21. अणसीदेवी पत्नी मोहनराम
22. देवाराम पुत्र गिरधारीराम
23. प्रहलादराम पुत्र गिरधारीराम
24. रमेश पुत्र गिरधारीराम
25. धूड़ीदेवी पत्नी गिरधारीराम
26. नेनूदेवी पत्नी देराजराम
    संख्या 2से26 जाति जाट
27. सोनीदेवी पत्नी जगदीशचन्द्र जाति ब्राम्हण निवासी आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
28. शाखा प्रबन्धक, आरएमजीबी होडू
29. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई सिणधरी
30. तहसीलदार नोखड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 13 दिनांक 12.04.2021 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट्स सं. 2से29 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 व 30 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 24.12.24

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के [illegible] भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 13 दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा आडेल के खेत खसरा नंबर 189, 189/2, 242, 243, 243/2, 243/5, 243/7 रकबा 62.6005 हैक्टर एवं मौजा सारणों का तला के खसरा नम्बर 372 रकबा 9.9669 हैक्टर भूमि के खातेदारान ईसरा व अन्य ने दिनांक 12.04.2021 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन कर नामान्तरकरण भरवाने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी आडेल द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दशार्य अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 13 दिनांक 12.04.2021 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.08. 2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा विवादित भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2)(i) के तहत अपीलाधीन विभाजन [illegible] आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की गई है। [illegible] अपीलांट्स के परिवार से ही हैं जिन्होने अपीलांट्स को वा[illegible] कब्जा काश्त एवं पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजन [illegible] इसके साथ ही पृथक–पृथक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने की सहमति दी। जिस पर पटवारी हल्का ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे समस्त खसरों में कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया गया तथा न ही जमीन की किस्म, गुणवता को ध्यान में रखा गया। अपीलाधनी विभाजन कब्जा–काश्त अनुसार नहीं किये जाने से अपीलांट चुतराराम की आवासीय ढाणी जो वर्षों से बनी हुई हैं व अचलाराम वगैरह के हिस्से में दे दी गई हैं। इसी प्रकार सभी खसरों को रास्ते के सुखाचार से भी वंचित किया गया हैं जबकि राज्य सरकार की विभाजन के मामलों में स्पष्ट नीति हैं कि अवागमन हेतु सभी पक्ष को लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार अपीलकर्ता व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि सप्ताह पूर्व जब अपीलांट को उतरदातागण द्वारा जब रास्ते पर जाने से रोकने एवं आबादी के प्लॉट में जाने से रोकने पर अपीलांट्स को इस विभाजन आदेश की नकल प्राप्त की तब दिनांक 04.08.2022 को वास्तविक जानकारी हुई तथा जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा आडेल के खेत खसरा नंबर 189, 189/2, 242, 243, 243/2, 243/5, 243/7 रकबा 62.6005 हैक्टर एवं मौजा सारणों का तला के खसरा नम्बर 372 रकबा 9.9669 हैक्टर भूमि के खातेदारान ईसरा व अन्य ने दिनांक 12.04.2021 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन कर नामान्तरकरण भरवाने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी आडेल द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दशार्य अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 13 दिनांक 12.04.2021 पारित किया गया। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्त ने मुख्य रूप से प्रकट किया हैं कि अपीलाधीन विभाजन मौका–कब्जा अनुसार नहीं हुआ हैं, जिससे अपीलांट की रहवासीय ढाणी रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आ गई हैं तथा सभी पक्षों को रास्ते के सुखाचार से भी वंचित किया गया हैं। रेस्पोडेंट्स द्वारा इस अपील के नोटिस तामील होने के बावजूद भी प्रतिरक्षण में पैरवी नहीं की हैं, जिससे उनकी मौन स्वीकारोक्ति प्रतीत होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यद्यपि पक्षकारान के हस्ताक्षरों पर तरमीम नक्शा मुर्तिब किया गया, किन्तु पूर्व मे हुए बाहमी बंटवाडे एवं भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं होने से अपीलांट्स की ढाणी, बाड़े आदि उतरदाता के कब्जे मे चले गये है। इस प्रकार अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है तथा खातेदारों के हिस्सों एवं खातेदारी हकूकों के विपरीत अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश होने से अपीलांट्स की अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 13 दिनांक 12.04.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नोखड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि का मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:15 IST
Reason: SelfAttested